**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1036**

**उत्तर देने की तारीख : 05.02.2026**

**ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एमएसएमई को समर्थन**

**1036. श्री सुरेश कुमार शेटकर :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के नव उद्यमी सख्त अनुपालन आवश्यताओं के कारण नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण साधनों से बाहर न हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो पहुंच के केवल शहरी केंद्रों में उपलब्ध रहने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या बजट के तहत फुटवियर, चमड़ा, खिलौने और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए लक्षित पहलों को श्रम-सघन विनिर्माण को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे, कौशल और बाजार-संपर्क सहायता से समर्थित किया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में नौकरियों के लगातार कम होने के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने फुटवियर, खिलौने और चमड़ा क्षेत्रों में घरेलू एमएसएमई पर बढ़ते आयात और व्यापार असंतुलन के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और तदनुसार बजट हस्तक्षेपों को संरेखित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो नीतिगत असंबद्धता के कारण क्या हैं?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा करांदलाजे)**

(क) : भारत सरकार ने वित्त तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में पहली बार के उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं और कई प्रकार के कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

i. एमएसएमई मंत्रालय एमएसई को दिए जाने वाले ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) का कार्यान्वयन करता है। इस स्कीम के अंतर्गत गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए है।

ii. एमएसएमई में इक्विटी निधियन के रूप में 50,000 करोड़ रुपए की राशि समाविष्ट करने हेतु आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना की गई है जिसमें भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए तथा प्राइवेट इक्विटी/वेंचर कैपिटल निधियों के जरिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। बजट 2026-27 में भी वर्ष 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत कोष को गति प्रदान करने हेतु 2000 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है ताकि सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान की जा रही सहायता जारी रखी जा सके और उनकी जोखिम पूंजी तक पहुंच को बरकरार रखा जा सके।

iii. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में गैर-कृषि क्षेत्र में विनिर्माण हेतु 50 लाख रुपए और सेवा उद्यम के लिए 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने के लिए 35 प्रतिशत तक की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

iv. अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 पारंपरिक व्यापारों में संलग्न कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम में अधिकतम 8 प्रतिशत तक के ब्याज सब्वेंशन के साथ 3 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने फुटवियर, चमड़े, खिलौने और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित अत्यधिक श्रम वाले विनिर्माण कार्य का नवीकरण करने के लिए कई पहलें की हैं। इन पहलों में उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) स्कीम, खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना, अ.जा.-अ.ज.जा. हब, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सहायता (एटीआई) स्कीम, नवोन्मेष, ग्रामोद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) तथा देशभर में स्थापित प्रौद्योगिकी केन्द्रों के जरिए प्रशिक्षण शामिल हैं।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अवसंरचना का विकास करके, क्षेत्र-विशिष्ट पर्यावरणीय सरोकारों का समाधान करके, अतिरिक्त निवेश को बढ़ावा देकर, रोजगार सृजन करके और समग्र उत्पादन क्षमता को गति प्रदान करके चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय फुटवियर, चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। आईएफएलडीपी को चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र के लिए अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु 5 वर्षों (वर्ष 2021-26) के लिए जनवरी 2022 में 1700 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 791 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है और अब तक 1,325 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों सहित देशभर में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उनके उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु ''प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) स्कीम'' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह स्कीम मांग आधारित स्कीम है और इसमें पात्र परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान, 3 करोड़ रुपए तक की उपयुक्त लागत के 35 प्रतिशत की दर से सामान्य अवसंरचना, 40,000 रुपए तक की मूलभूत पूंजी, लाभार्थियों के लिए क्षमता निर्माण, देशभर में सभी इच्छुक आवेदकों के लिए इकाइयों के औपचारिकीकरण हेतु ब्रांडिंग और विपणन तथा हैंडहोल्डिंग सहायता का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, व्यापार असंतुलन द्वारा प्रभावित एमएसएमई के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:-

i. विविध मॉडल वाले लॉजिस्टिक्स के लिए समग्र और समावेशी आयोजनों को संभव बनाते हुए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना।
ii. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी), जिसका उद्देश्य लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिए देश के आर्थिक विकास और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता को गति प्रदान करना है।
iii. एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने हेतु सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए निर्यातकों हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसई)।

******